सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–15.05.2018 को सम्पन्न सुरक्षित नौका परिचालन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति –

1. **सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**
2. **राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।**
3. **अपर सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**
4. **उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**
5. **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।**

नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन हेतु नौका भी परिवहन के साधन के रूप में प्रमुखता से प्रयुक्त होता है। अतः नौका परिवहन को सुरक्षित बनाना भी विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रस्तुत बैठक बारहमासी नदीयों में नौका परिचालन को सुरक्षित बनाने तथा आगामी बरसात एवं बाढ़ पूर्व तैयारी को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने के उपायों पर विचार करने हेतु दिनांक–15.05.2018 को सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया गया–

1. **बंगाल फेरिज एक्ट, 1985** – बंगाल फेरिज एक्ट एवं आदर्श नौका नियमावली के सन्दर्भ में दायित्वों की समीक्षा की गई। बंगाल फेरिज एक्ट में दिये गये कुछ महत्वपूर्ण दायित्व निम्नवत हैं–

   धारा 07 – सभी पब्लिक फेरिज की नियंत्रण की शक्ति जिला दण्डाधिकारी में निहित है, जो कि प्रमण्डलीय आयुक्त से निदेशित होगा।

   धारा 08 – सभी पब्लिक फेरिज के प्रबंधन/संचालन की जिम्मेवारी सीधे जिला दण्डाधिकारी में निहित होगा।

   धारा 09 – पब्लिक फेरिज की नीलामी जिला दण्डाधिकारी के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त की स्वीकृति से की जाएगी।

   धारा 13 – पब्लिक फेरिज के ठेके के रद्दीकरण की शक्ति जिला दण्डाधिकारी में होगी।

   धारा 15 – इस अधिनियम के आलोक में पब्लिक फेरिज के लिए नियम बनाने की शक्ति जिला दण्डाधिकारी की प्रमण्डलीय आयुक्त की स्वीकृति से होगी।

   धारा 22 – यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से इस अधिनियम के आलोक में प्राइवेट फेरिज हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त में निहित होगी।

2. **आदर्श नियमावली, 2011** – सुरक्षित नौका परिचालन हेतु बंगाल फेरिज एक्ट, 1985 के आलोक में आदर्श नियमावली, 2011 निरूपित की गई है। यह नियमावली इस निदेश के साथ सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों को परिचारित की गई कि वे अपने क्षेत्र में इसे अधिसूचित करते हुए इसके प्रावधानों को सख्ती से लागू करें।

   आदर्श नौका नियमावली में "निबंधन पदाधिकारी" को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

"निबंधन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 2 में यथापरिभाषित जिला परिवहन पदाधिकारी या निबंधन कार्य सम्पादित करने हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति ;

आदर्श नौका नियमावली में "नाव सर्वेक्षक" को निम्नवत् परिभाषित किया गया है–

"नाव सर्वेक्षक" से अभिप्रेत है बिहार मोटर गाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 2 में यथापरिभाषित मोटर यान निरीक्षक, नाव सर्वेक्षण में प्रशिक्षित नाव सर्वेक्षक के कार्यों को सम्पादित करने हेतु जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्राधिकृत नाव सर्वेक्षण में प्रशिक्षित कोई अन्य व्यक्ति इसमें शामिल है ;

आदर्श नौका नियमावली में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नवत् है–

<u>नाव के प्रभारी व्यक्ति का उत्तरदायित्व</u>

किसी अनुज्ञापित नाव का स्वामी, अभिकर्ता या प्रभारी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा–

(क) कि इन नियमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित चालकदल नाव में उपलबध कराया जाता है ;

(ख) कि नाव पूर्णरूप से शुष्क एवं साफ रखी जाती है ;

(ग) कि इन नियमों के तहत यथा आवंटित निबंधन संख्या सुस्पष्ट रूप से अंकित है ;

(घ) कि नाव में अनुज्ञप्ति धारित है ;

(ड़) कि अनुज्ञप्ति में भी विनिर्दिष्ट उपस्कर नाव में रखे गये हैं और अच्छी हालत में संधारित है ;

(च) कि मालवाहक एवं यात्री नाव का लोडलाइन सुस्पष्ट रूप से चिन्हित है ;

(छ) कि मालवहन की स्थिति में नाव में इतना सामान नहीं लदा है कि भार जल आरेख सूचक चिन्ह जल में डूब जाय ;

(ज) कि इस नियमावली में विनिर्दिष्ट तरीके से सवारियों को अधिकतम संख्या प्रमुखता से अंकित है ;

(झ) कि नाव में, यदि यात्रियों को ले जा रही हो, उस संख्या, जितने के लिए यह अनुज्ञापित है, से अधिक व्यक्ति नहीं बैठाये जाते हैं ;

(ञ) कि नाव सुरक्षित संचालन हेतु आवश्यक प्रकाश श्रोत या लैम्प से सुसज्जित है ;

(ट) कि किसी भी परिस्थिति में अन्य यात्रियों के साथ नाव में पशु को रखने की अनुमति नहीं देगा। यदि किसी यात्री के साथ पशु हो, तो वैसी परिस्थिति में नाव के चालक दल के अतिरिक्त मात्र संबंधित पशु एवं उसके मालिक को ही सफर करने की अनुमति देगा।

<u>वाह्य बोर्ड इंजिन से परिचालित नौकाएँ</u>

वाह्य बोर्ड इंजिन अथवा समरूप उपकरणों से किसी यात्री नाव का परिचालन नहीं किया जायगा, जबतक कि वह निम्नलिखित शर्तें पूर्ण नहीं करती–

(क) वर्ग–I नाव के सन्दर्भ में नौ–सेना से संबंधित (नेवल) वास्तुशिल्पी या भारतीय जहाजरानी रजिस्ट्री या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसायटी एवं

वर्ग–II नाव के सन्दर्भ में नाव सर्वेक्षक द्वारा अनुमोदित रूपरेखा के मुताबिक नाव सभी दबावों एवं तनावों को सहन करने के लिए उचित रीति से आवृत की गयी है;

(ख) यह लदान जल स्तर से नीचे उचित ढंग से निर्मित की गयी हो ;

(ग) यह प्रत्येक यात्री के लिये बैठने के लिये एक की दर से आकलित किन्तु न्यूनतम दो अनुमोदित (महानिदेशक, जहाजरानी भारत सरकार द्वारा) उत्प्लावित जीवनरक्षकों की संख्या आधी रखी जा सकती है बशर्ते न्यूनतम दो अवश्य रखे जाएँ ;

(घ) इसमें पर्याप्त संख्या में उलीचक और रक्षक छल्ले उपलब्ध है ;

(ड़) इसमे प्रति पाँच यात्रियों के लिए एक की दर से आकलित किन्तु न्यूनतम दो अनुमोदित (महानिदेशक, जहाजरानी भारत सरकार द्वारा) उत्प्लावित जीवनरक्षक उपलब्ध है, अगर नाव आन्तरिक तरणशील टंकीयुक्त हो, तो उत्प्लावित जीवनरक्षकों की संख्या आधी रखी जा सकती है बशर्ते न्यूनतम दो अवश्य रखे जाएँ ;

(च) इसमें एक सचल अग्निशामक उपलब्ध है ;

(छ) पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेय जल उपलब्ध है और मुफ्त आपूर्ति किया जाता है ;

(ज) एक अनुमोदित किस्म का प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध है ;

(झ) कि नाव सुरक्षित नौ–संचालन के लिए आवश्यक प्रकाशस्रोत या लैम्पयुक्त है ;

(ञ) नाव पीछे हटाने वाली यांत्रिक व्यवस्थायुक्त है।

3. <u>घाटों का चिन्हिकरण</u> – नावों का परिचालन किये जाने वाले घाटों में कुछ घाट चिन्हित हैं एवं कुछ अचिन्हित हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अचिन्हित घाटों पर नाव दुर्घटनाएँ अधिक होती है। अतः ऐसे सभी घाटों को चिन्हित किया जाना एवं उनकी बन्दोबस्ती आवश्यक है, जिससे नावों का परिचालन होता है। घाटों को चिन्हित करने एवं उनकी सूची मांगने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

4. <u>मौसमी घाटों का चिन्हिकरण</u> – बरसात के मौसम में कई अस्थायी घाटों से नौका परिचालन आरम्भ हो जाते हैं। ऐसे घाटों से नौका परिचालन केवल बरसात के मौसम में ही होता है। ऐसे घाटों का चिन्हिकरण एवं नियंत्रण आवश्यक है। इस हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किये जाने का निदेश दिया गया। इस विषय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किये जाने का निर्णय लिया गया।

चिन्हित घाटों के संबंध में निम्न प्रारूप में जिला पदाधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किये जाने का निदेश दिया गया–

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	चिन्हित घाट का नाम	घाट से परिचालित होने वाले बड़ी एवं छोटी नावों संख्या	परिचालन की दूरी

5. **<u>नावों का निबंधन</u>** – गैर निबंधित नावों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाया जाना आवश्यक है। इस हेतु अभियान चलाकर नावों का निबंधन कराये जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई। इस आशय का पत्र सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक/वरीय पुलिस अधीक्षक को दिये जाने का निदेश दिया गया।

6. **<u>घाटों की बन्दोबस्ती</u>** – घाटों की बन्दोबस्ती का कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाता है। नावों का परिचालन कई गैर बन्दोबस्त घाट से भी किये जा रहें हैं। इससे राजस्व की क्षति के साथ नियंत्रण की भी समस्या होती है। अतः इस संबंध में निम्नलिखित निदेश दिये गये–

   (क) ऐसे सभी घाटों के बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अनुरोध किया जाय।

   (ख) बन्दोबस्तीधारी को घाटों की निगरानी का उत्तरदायित्व दिया जाय।

   (ग) बन्दोबस्त घाटों की सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध जिला पदाधिकारी से किया जाय।

   (घ) घाटों की बन्दोबस्ती हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग और राजस्व विभाग के साथ बैठक आयोजित किये जाने हेतु अनुरोध किया जाय।

7. **<u>सर्वेयर की संख्या में वृद्धि</u>** – नावों के सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र एवं सुगमता पूर्वक किये जाने हेतु सर्वेयरों की सख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता व्यक्त की गई। प्राधिकृत सर्वेयरों का प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नौवहन संस्थान, गायघाट, पटना में सम्पन्न करवाया जा चुका है। इन प्रशिक्षित सर्वेयरों को नौका सर्वेक्षण कार्य में लगाये जाने हेतु तथा सर्वेयरों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किये जाने का निदेश दिया गया।

8. **<u>सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना</u>** – नाव में यात्रियों की सुरक्षा हेतु जीवन रक्षक छल्ले, प्राथमिक चिकित्सा पेटी, कारगर जमीनी टैक्ल, एंकरिंग, आवश्यक प्रकाश स्रोत तथा अन्य उपकरण की उपलब्धता आवश्यक है। अतः इन सुरक्षा युक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने का निदेश सभी जिला पदाधिकारी को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

9. **<u>नाव परिचालन की मॉनिटरिंग हेतु समिति का गठन</u>** – नावों के परिचालन की मॉनिटरिंग हेतु अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की एक संयुक्त समिति गठित की जाय। अपने क्षेत्र में नावों का नियमानुकूल एवं सुरक्षित परिचालन हेतु यह समिति जिम्मेवार होगी। इस आशय का निर्देश निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

10. **<u>सुरक्षित नौका परिचालन हेतु पूर्व में दिये गये निदेशों का अनुपालन</u>** – सुरक्षित नौका परिचालन हेतु पूर्व में कतिपय निदेश दिये गये हैं, जिनका सम्यक अनुपालन आवश्यक है। यथा –

   (क) नौका का परिचालन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों के आलोक में किया जाय।

   (ख) गैर निबंधित नावों के परिचालन पूर्णतः रोक लगाया जाय।

(ग) नावों का नेशन अभियान चलाकर किया जाय।

(घ) नावों में सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो।

(ड़) नावों में लोड लाइन आवश्यक रूप से अंकित किया जाय।

(च) नावों में ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाया जाय।

(छ) नावों का परिचालन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, इसकी औचक जाँच करायी जाय।

एक माह बाद पुनः अनुपालन की समीक्षा किये जाने की सूचना दी गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3406 पटना, दिनांक– 22/5/18

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला **परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।**

22/5/18
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

(ग) नावों का निबंधन अभियान चलाकर किया जाय।

(घ) नावों में सभी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हो।

(ङ) नावों में लोड लाईन आवश्यक रूप से अंकित किया जाय।

(च) नावों में ओवरलोडिंग पर पूरी तरह से रोक लगाया जाय।

(छ) नावों का परिचालन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, इसकी औचक जाँच करायी जाय।

एक माह बाद पुनः अनुपालन की समीक्षा किये जाने की सूचना दी गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3406 पटना, दिनांक– 22/5/18

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सचिव, आपदा प्रबंधन प्राधिकारण, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/5/18

सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।